इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग) अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 8th July 2020

CORRIGENDUM

No. A-1574.—Notification No. B-4036 Jabalpur, dated 8 August-2019 of the High Court of M. P. which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 23 August 2019 as "The Madhya Pradesh Arbitration Centre (Domestic and International) Rules, 2019" is hereby rescinded.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.